[illegible] उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टो[illegible]

मु0न0:– 36 / 2024 दिनांक:– 01.07.2024

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

बसन्ता राम पुत्र धनपाल जाति मीना निवासी नाहर खोहरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

(सायल)

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामफूल मीना
2. सीमा देवी पत्नि जगदीश मीना
3. रामावतार पुत्र रामफूल मीना
4. सरूपी पत्नि रामावतार
   निवासीयान नाहर खोहरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. तहसीलदार टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री विष्णु कंटक एडवोकेट सायलान
श्री राजकुमार सिंह एडवोकेट गैरसायलान 1 व 2

निर्णय दिनांक 29.01.2025

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 6/0.39 है0 मे सायल हिस्सा 5/8 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 व 2 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 13/0.11, 19/0.43 कुल किता 02 कुल रकवा 0.54 है0 मे सायल हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 21/0.06, 990/17/0.19 कुल किता 02 कुल रकवा 0.25 है0 मे सायल हिस्सा 5/8 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

सायल एवं गैरसायलान ने मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार अपनी–अपनी भूमि का बहामी बटवारा कर रखा है, जिसके अनुसार सायल का ख0न0 6/0.39 सम्पूर्ण, 21 सम्पूर्ण, 990/17 रकवा 0.19 है0 मे से 0.0850 है0 पर कब्जा काश्त है। जिसका मौके पर एक ही खेत बना हुआ है। जिससे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। लेकिन सायल एवं गैरसायलान के मध्य रिकार्डेड बटवारा नही होने से आये दिन डौल मेड पर विवाद बना रहता है।

बॉका दिनांक 14.06.2024 को सायल अपने मजदूरो द्वारा आराजीयात पर सीमेन्ट के पोल गाढकर तारबंदी करवा रहा था तो गैरसायल न0 1 व 2 अपने पुत्र लेखराज व पुत्री सोनम, विनिता के साथ सायल के कब्जे काश्त की आराजी मे आये और आते ही मारपीट की जिसकी पुलिस थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसंधान है। दिनांक 29.06.2024 को गैरसायल से तहसील मे चलकर बटवारा कराने को कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया तथा सायल को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी [illegible] है [illegible] सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई [illegible] जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है, [illegible] अस्थाई [illegible] जारी नही होने से साय[illegible] को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही है। जबकि गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से गैरसायलान को किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 6/0.39, 13/0.11, 19/0.43, 21/0.06, 990/17/0.19 है0 मे सायल के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से बाधा पैदा नही करे नाही किसी अन्य से करावे। निर्माण नही करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 2 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, गैरसायला न0 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 1 व 2 ने जरिये वकालत काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया कि ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 6/0.39 है0 मे गैरसायल न0 1 जगदीश हिस्सा 1/4, तथा गैरसायल न0 2 सीमा देवी 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर अपने रिकार्ड के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। मुताकि रिकार्ड व मुताबिक हिस्सा सायल को पाबन्द किया जावे कि गैरसायल रिकार्ड व काश्त की भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे सायल को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम गैरसायल को मुताबिक रिकार्ड व हिस्सा पाबन्द फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 6/0.39 है0 मे सायल हिस्सा 5/8 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 व 2 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 13/0.11, 19/0.43 कुल किता 02 कुल रकवा 0.54 है0 मे सायल हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 21/0.06, 990/17/0.19 कुल किता 02 कुल रकवा 0.25 है0 मे सायल हिस्सा 5/8 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के गैरसायल न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल एवं गैरसायलान ने मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार अपनी–अपनी भूमि का बहामी बटवारा कर रखा है, जिसके अनुसार सायल का ख0न0 6/0.39 सम्पूर्ण, 21 सम्पूर्ण, 990/17 रकवा 0.19 है0 मे से 0.0850 है0 पर कब्जा काश्त है। जिसका मौके पर एक ही खेत बना हुआ है। जिससे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। लेकिन सायल एवं गैरसायलान के मध्य रिकार्डेड बटवारा नही होने से आये दिन डौल मेड पर विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 6/0.39, 13/0.11, 19/0.43, 21/0.06, 990/17/0.19 है0 मे सायल के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से बाधा पैदा नही करे नाही किसी अन्य से करावे। निर्माण नही करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल न0 1 व 2 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 6/0.39 है0 मे गैरसायल न0 1 जगदीश हिस्सा 1/4, तथा गैरसायल न0 2 सीमा देवी 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर अपने रिकार्ड के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। मुताकि रिकार्ड व मुताबिक हिस्सा सायल को पाबन्द किया जावे कि गैरसायल रिकार्ड व काश्त की भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे सायल को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम गैरसायल को मुताबिक रिकार्ड व हिस्सा पाबन्द फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम भीमपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख0न0 6 रकवा 0.39 है0 मे सायल 5/8 हिस्से का तथा गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/4, गैरसायल न0 2 हिस्सा 1/8 के ख0न0 13/0.11, 19/0.43 है0 मे सायल हिस्सा 1/4, गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/4, गैरसायल न0 2 हिस्सा 1/8, गैरसायल न0 3 हिस्सा1/4, गैरसायल न0 4 हिस्सा 1/8 के, ख0न0 21/0.06, 990/17/0.19 है0 मे सायल हिस्सा 5/8, गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/4, गैरसायल न0 2 हिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात के संबध मे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वादपत्र उभयपक्ष की सहमति अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है और वर्णित आराजीयात मे उभयपक्ष खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने से तथा गैरसायल न0 1 व 2 द्वारा काउन्टर क्लेम जबाब पेश करने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्ष के हक मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्ष के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्षकारान को पाबन्द नही किया जाता है तो उभयपक्ष को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त तीनो बिन्दु उभयपक्ष के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व गैरसायल न0 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.07.2024 को कन्फर्म करते हुये उभयपक्षकारान को ता दांवा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 6/0.39, 13/0.11, 19/0.43, 21/0.06, 990/17/0.19 है0 मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner